न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 39/2025 बउनवानी सत्यनारायण **बनाम** लो.सू.अधि.एवं सचिव नगर विकास न्यास स0मा0
पुत्र रामप्रसाद माली निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 126

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
17.6.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 15.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *दिनांक 8.8.2019 को नगर विकास न्यास द्वारा ग्राम रामसिंहपुरा मे स्थित भैरू वाले रास्ते पर चबूतरा तोडा गया उक्त चबूतरा तोडने के आदेश सहित सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित सूचना* " सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः निवन्या/समा/2025/496 दिनांक 16.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 15.4.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के पत्रांक 424 दिनांक 6.6.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित नही होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। इस प्रकार चाही गयी सूचना के संबंध मे लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है जिसके संबंध मे सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलन्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:15:03 IST
Reason: SelfAttested